न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : डॉ.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 17/2022 GCMS No. 2022/17

अपीलांट–	बनाम	उत्तरदातागण–
1. श्रीमती लोंगो पत्नी स्व0 गंगाराम के कायम मुकाम नरपत कुमार गोद पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर	बनाम	1. तहसीलदार बायतु जिला बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 929 दिनांक 12.02.2019 जो मौजा बायतु चिमनजी तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्तागण अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदाता अनुपस्थित।

आदेश **दिनांक 18.06.2025**

अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार बायतु के नामान्तरकरण सं. 929 दिनांक 12.02.2019 मौजा बायतु चिमनजी तहसील बायतु द्वारा पारित के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

1. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा बायतु चिमनजी तहसील बायतु के खसरा संख्या 543 रकबा 151–16 बीघा एवं खसरा नंबर 840 रकबा 10.09 बीघा भूमि में सहखातेदारान के नाम 1/4 हिस्सा घोषित कर न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बायतु बमुकदमा संख्या 111/2015 अनवान लोंगों देवी बनाम खेमाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2014 के अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया। तथा इसी दौरान लोंगो देवी का देहांत हो गया जिसे उक्त वाद मे वादी के रूप मे संयोजित कर अपीलांट नरपत के पक्ष मे तमाम रेकर्ड मे हिस्सा 1/4 का सह खातेदार दर्ज हुआ।

2. सहायक कलक्टर बायतु के उक्त निर्णय दिनांक 24.07.2017 से व्यथित होकर सह खातेदार नरसिंगाराम व अन्य ने एक अपील 104/2017 अनवान नरसिंगाराम वगैरह बनाम स्व0 लोगों के कायम मुकाम माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 08.02.2019 से आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2017 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ न्यायलय सहायक कलक्टर बायतु को रिमाण्ड हेतु आदेशित किया की प्रकरण की पुनः सुनवाई तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबुत लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

3. सहखातेदार द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय के अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में पूर्व स्थिति बहाल किये जाने हेतु धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र सहायक कलक्टर बायतु के समक्ष दिनांक 11.02.2019 को प्रस्तुत किया जिसे मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार बायतु को अग्रेषित कर दिया गया। तहसीलदार बायतु द्वारा इस प्रार्थना–पत्र पर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 929 दिनांक 12.02.2019 पारित कर पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई। अपीलांट द्वारा तहसीलदार बायतु के इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 12.02.2019 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

4. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

5. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की लिखित बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि अपीलांट नरपत कुमार की गोद माता स्व. लोंगों ने ग्राम बायतु चिमनजी मे स्थित खेत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

खसरा नंबर 543 रकबा 151–10 बीघा एवं खसरा नंबर 840 रकबा 10–09 बीघा मे अपना खातेदारी हिस्सा 1/4 घोषित कर इसी आराजी के अन्य सहखातेदार के साथ खातेदारी रेकर्ड में अपने नाम को अंकन करने खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने हेतु एक वाद विद्वान सहायक कलक्टर बायतु के न्यायालय मे पेश किया, जो वाद संख्या 111/2015 बअनवान लोंगो बनाम खेमाराम से दर्ज हुआ तथा वाद विचारण के दौरान लोंगो देवी का देहान्त हो गया। अपीलांट नरपत स्व. लोंगो देवी का गोद पुत्र है जिसे उक्त वाद मे वादी के रूप मे संयोजित कर अपीलांट नरपत के पक्ष मे तमाम रेकर्ड मे हिस्सा 1/4 का सह खातेदार दर्ज हुआ। माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर द्वारा रिमाण्ड किया गया वाद मूल रूप से अग्रिम कार्यवाही हेतु न तो न्यायालय सहायक कलेक्टर बायतु को प्राप्त हुआ और न तत्समय दर्ज हुआ है। इस अपीलाधीन आराजी के सह खातेदार राजेश पुत्र मिसराराम ने दिनांक 11.02.2019 को एक आवेदन अन्तर्गत धारा 144 सी. पी.सी. जिसके साथ माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 08.02.2019 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया कि वादी के वाद संख्या 111/2015 अनवान लोंगो देवी बनाम खेमाराम में पारित अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त हो गई है। अतः वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 543 व 840 खातेदारी पूर्व की बहाल की जाये सहायक कलक्टर बायतु ने उक्त आवेदन मय निर्णय की प्रति मूल रूप से नियमानुसार पालना हेतु तहसीलदार बायतु को दिनांक 11.02.2019 को अग्रेषित कर दी तथा तहसीलदार बायतु ने मूल आवेदन पर दिनांक 12.02.2019 को हल्का पटवारी बायतु चिमनजी को न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बायतु बमुकदमा संख्या 111/2015 अनवान लोंगो देवी बनाम खेमाराम व अन्य मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2007 से पूर्व की स्थिति मुताबिक अपीलाधीन की पालना में उक्त नामान्तरकरण में अपीलाधीन आराजी से अपीलांट का नाम हटा दिया जिस पर तहसीलदार बायतु द्वारा उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया, जो सरासर गलत व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा बायतु चिमनजी तहसील बायतु के खसरा संख्या 543 रकबा 151–10 बीघा एवं खसरा नंबर 840 रकबा 10–09 बीघा भूमि सहखातेदारान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बायतु बमुकदमा संख्या 111/2015 अनवान लोंगों देवी बनाम खेमाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2017 के अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया। सहायक कलक्टर बायतु के उक्त निर्णय दिनांक 24.07.2017 से व्यथित होकर सह खातेदार नरसिंगाराम व अन्य ने एक अपील 104/2017 अनवान नरसिंगाराम वगैरह बनाम स्व0 लोगों के कायम मुकाम माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 08.02.2019 से आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2017 को अपास्त कर पुनः सुनवाई के निर्देश के साथ न्यायलय सहायक कलक्टर बायतु को रिमाण्ड किया गया। सहखातेदार द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय के अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में पूर्व स्थिति बहाल किये जाने हेतु धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र सहायक कलक्टर बायतु के समक्ष दिनांक 11.02.2019 को प्रस्तुत किया जिसे मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार बायतु को अग्रेषित कर दिया गया। तहसीलदार बायतु द्वारा इस प्रार्थना–पत्र पर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 929 दिनांक 12.02.2019 पारित कर पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई। अपीलांट द्वारा तहसीलदार बायतु के इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 12.02.2019 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर ने राजस्व वाद संख्या 111/2015 अनवान लोंगो देवी बनाम खेमाराम मे विचरण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 24.07.2017 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रति प्रेषित किया कि उभयपक्ष को सुनवाई का मौका देकर जाकर पुनः निर्णय पारित करे। इस निर्णय की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा भी रेकर्ड की पूर्व स्थिति पुनः बहाली का कोई आदेश नहीं है किन्तु तहसीलदार बायतु द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 929 खुलवा कर दिनांक 12.02.2019 को स्वीकृत किया है। अधिवक्ता अपीलांट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

का कथन है कि धारा 144 सी.पी.सी. के आवेदन को वहीं न्यायालय निर्णीत कर सकता है जहां से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित हुआ है परन्तु तहसीलदार बायतु ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त आदेश पारित किया है जो क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट एवं अपीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त आदेश मे धारा 144 सी.पी.सी. के आवेदन के आधार पर वही न्यायालय निर्णय पारित कर सकता है जिस न्यायालय निर्णय व डिक्री पारित किया गया है इसके विपरीत हस्तगत प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा कोई विधिसम्मत आदेश पारित नहीं किया है और न ही पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हैं। तहसीलदार बायतु द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र पर विवेचन उपरांत आदेश क्रमांक :भू0अ0/2019/176 दिनांक 12.02.2019 पारित कर पटवारी हल्का बायतु चिमनजी को नामान्तरकरण दायर करने के निर्देश जारी किये गये है जो क्षेत्राधिकार विहिन एवं प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त करने के काबिल है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा इस तथ्य की पूर्ण जांच किये बिना ही नामान्तरकरण सं. 929 पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2019 पारित किया गया जो विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बायतु द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र पर विवेचन उपरांत आदेश क्रमांकः भू0अ0/2019/176 दिनांक 12.02.2019 एवं उसके अनुसरण मौजा बायतु चिमनजी के नामान्तरकरण सं. 929 पर पारित आदेश दिनांक 12.02.2019 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार बायतु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि मृतक खातेदार लोंगो देवी के विधिक वारीसान की जांच एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उल्लेखित राजस्व वाद सं. 111/2015 में वर्तमान स्थिति अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करावें।

8. निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(डॉ गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा